

सरकार  
**आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक: एफ4 (143)आकाशि/नि.सं./2011/ 1187

आदेश

दिनांक: २९/८/२०१९

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत निम्न महाविद्यालय को सत्र 2017-18 से स्नातक स्तर पर पूर्ण संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	पूर्व संचालित संकाय व विषय
श्री क्षेत्रपाल जन सेवा संस्थान, खड़गढ़ा, तहसील चितरी, बांसवाड़ा, झूंगरपुर 314027।	मानस महाविद्यालय, बड़गी बस स्टेण्ड, चितरी, गलियाकोट, झूंगरपुर 314035।	गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर— कला संकाय— हिन्दी सा०, संस्कृत सा०, अंग्रेजी सा०, भूगोल, इतिहास, राज० विज्ञान, समाजशास्त्र। विज्ञान संकाय— प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निर्धारित अवधि में नियमानुसार मय वार्षिक शुल्क आवेदन करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय—समय पर यूजी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी०सी०आई० से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यूजी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ—साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2019-20 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट [www.hte.rajasthan.gov.in](http://www.hte.rajasthan.gov.in) से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [wwwaishe.nic.in](http://wwwaishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अप्लोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी हार्ड कॉपी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण—पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

४  
आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—
- विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
  - निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  - निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
  - जिला कलेक्टर, झूंगरपुर।
  - कुल सचिव, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा।
  - सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
  - सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
  - रक्षित पत्रावली।

७१८  
संयुक्त—निदेशक, नि०सं०  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर